भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II – खण्ड 3 – उप खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 195 नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2001 / चैत्र 5, 1923

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का.आ.267 (अ) – करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2000 का प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1162 (अ) तारीख 26 दिसंबर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 27 दिसंबर, 2000 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती हैं, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 60 दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जनवरी 2001 को उपलब्ध कर दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार को प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम 2001 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं** :– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (क) 'अधिनियम' से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;

   (ख)'बोर्ड' सेअधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है और जो समय–समय पर धारा 5 के अधीन पुनर्गठित किया जाए;

   (ग) 'फिल्म' से चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) में परिभाषित कोई चलचित्र फिल्म अभिप्रेत है;

   (घ) 'आरोग्य प्रमाणपत्र' से पशु के स्वास्थ्य और आरोग्यता को प्रमाणित करने वाले विहित प्राधिकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी पशु चिकित्सा द्वारा अनुदत्त कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

   (ड.)'स्वामी' से पशु का स्वामी अभिप्रेत है और जिसमें कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जिसके कब्जे या अभिरक्षा में ऐसा पशु है चाहे वह स्वामी की सहमति से हो या सहमति के बिना हो; 'स्वामित्व प्रमाणपत्र' से वन्य जीव

(संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 42 के अधीन अनुदत्त कोई प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;

(छ) 'विहित प्राधिकारी' से बोर्ड या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है जिसे बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए;

(ज) 'करतब दिखाने वाले पशु' से ऐसा पशु अभिप्रेत है जिसका किसी मनोरंजन में या उसके प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत कोई फिल्म या घोड़ों का कार्यक्रम सम्मिलित है, जिसमें जनता आती है;

(झ) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) 'पशु चिकित्सक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत है;

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन :– (1) किसी करतब दिखाने वाले पशु के प्रशिक्षण या प्रदर्शन का इच्छुक कोई व्यक्ति इन नियमों के आरंभ से 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा और इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए बिना किसी पशु के किसी करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं करेगा।

(2) किसी करतब दिखाने वाले पशु के प्रदर्शन या पशिक्षण का इच्छुक कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए पहली अनुसूची में उपवर्णित आवेदन के प्रारूप में आवेदन करेगा।

(3) प्रत्येक ऐसा आवेदन विहित प्राधिकारी को किया जाएगा।

4. फीस और रजिस्ट्रीकरण :– रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रूपए की फीस लगी होगी जो या तो नगद रूप में या ऐसी अन्य रीति में सदत्त की जाएगी जिसे इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

5. अतिरिक्त जानकारी मंगाने की शक्ति :– (1) विहित प्राधिकारी आवेदक से उसके द्वारा दी गई विशिष्टियों की बाबत ऐसे अतिरिक्त अभिलेख और जानकारी मंगा सकेगा जो वह उपयुक्त समझे।

(2) यदि विहित प्राधिकारी का, करतब दिखाने और आवेदक द्वारा ऐसे पशुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए बनाई जाने वाली पद्धति की बाबत समाधान हो जाता है तो वह रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगा।

(3) विहित प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते समय ऐसी अन्य शर्त अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह ऐसे करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रशिक्षण और देख–रेख के लिए उचित समझे।

6. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र का प्रारूप :– (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रारूप में विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण को उस क्रम में क्रमसंख्यांक दिया जाएगा जिसमें रजिस्ट्खीकृत किया जाता है और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उपदर्शित किया जाएगा।

7. फिल्मों में करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रयोग के लिए पूर्व सूचना :– (1) किसी फिल्म को बनाने में किसी करतब दिखाने वाले पशुओं को भाड़े पर देने या उधार देने का इच्छुक प्रत्येक स्वामी, विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट फारमेट में पूर्व सूचना देगा जिसमें पशु की किस्म, पशु की आयु और पशु का शारीरिक स्वास्थ्य, पशु द्वारा किए जाने वाले करतब की प्रकृति, ऐसे करतब दिखाने के लिएउपयोग किए जाने वाले पशु के लिए अवधि, ऐसे करतब दिखाने के लिए पशु के प्रशिक्षण की अवधि और पद्धति तथा फिल्म में ऐसे पशुओं के उपयोग का औचित्य ओर ऐसी अन्य जानकारी जो उस प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।

(2) प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ किसी पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया गया एक आरोग्य प्रमाणपत्र लगा होगा,

जिसमें वन्य–जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अन्तर्गत आने वाले पशुओं की दशा में स्वामित्व प्रमाणपत्र के साथ पशुओं के स्वास्थ्य और आरोग्यता का प्रमाणपत्र होगा।

8. रजिस्ट्रीकरण की साधारण शर्तेः–

(1) विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते समय ऐसे निबंधन और शर्ते अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे और रजिस्टीकरण मंजूर करते समय निम्निलिखित शर्ते अधिरोपित करेगा, अर्थात् :–

(i) प्रत्येक स्वामी के पास, जिसके पास ऐसे करतब दिखाने वाले दस या दस से अधिक पशु है उनकी देखभाल, उपचार और परिवहन के लिए एक नियमित कर्मचारी के रूप में एक पशु चिकित्सक होगा।

(ii) स्वामी ऐसे पशुओं को लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक सड़क मार्ग से पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माप के पिंजरों के सिवाय परिवहन नहीं करेगा।

(iii) स्वामी ऐसे परिवहन के दौरान समुचित रूप से पानी पिलाने और चारा खिालाने को सुनिश्चित करेगा।

(iv) स्वामी परिवहन के पश्चात् छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पशुओं की बाबत चारा खिलाने और आराम करने के लिए आहतों की व्यवस्था करेगा।

(v) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी पशु को प्रशिक्षण या प्रदर्शन के पूर्व या उसके दौरान अथवा उसेक पश्चात् अनावश्यक पीड़ा या यातना न हो।

(vi) स्वामी उक्त पशु को प्रशिक्षित करने या कोई करतब दिखाने के लिए दबाव डालते हुए चारा खिलाने या पानी पिलाने से वंचित नही रखेगा।

(vii) स्वामी किसी पशु को करतब दिखाते समय इस प्रकार कार्य करवाएगा जो उसकी मूल प्राकृतिक इच्छा के अनुसार हो।

(viii)स्वामी किसी करतब दिखाने वाले पशु से कार्य नहीं करवाएगा यदि वह रूग्ण या घायल अथवा गर्भवती हो;

(xi) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी करतब दिखाने वाले पशु के आस–पास जानबूझकर कोई अचानक उंची आवाज में शोर न किया जाये या किसी पशु को आग के निकट न लाया जाए जिससे कि पशु डर जाए;

(x) स्वामी, उस दशा में जब किसी पशु को कृत्रिम पकाश के नीचे प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे प्रकाश की समग्र तीव्रता 500 ल्यूमेक्स से अधिक नहीं होगी;

(xi) स्वामी किसी पशु से ऐसा कार्य नहीं करवाएगा जिससे या तो पशु की मृत्यु हो जाए या वह घायल हो जाए या ऐसे दृश्य में पशु का उपयेाग करवाए जिसमें पशु घायल हो जाए;

(xii) स्वामी, ऐसे पशुओं के किए व्यवधान युक्ति या तार अथव गड्डों का उपयोग नहीं करेगा;

(xiii)स्वामी किसी पशु को या तो जलती हुई आग के सामने या आग संबंधी दुर्घटना के सामने नही ले जाएगा;

(xiv)स्वामी, किसी पशु को जिसके अन्तर्गत आस–पास घोड़े भी है किसी दृश्य का फिल्मांकन करते समय जिसमें विस्फोटक या अन्य उंची आवाज सम्मिलित है, के निकट नहीं ले जाएगा;

(xv) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सामान जैसे भालों, नुकीली कीलें, कटीलें तारों या अन्य ऐसे सामान का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे कि करतब दिखाने के दौरान पशु घायल न हो जाए;

(xvi)स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि अश्वों को कठोर धरातल पर, नालों के बिना नहीं चलवाएगा और आगे यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं का पहाड़ी से नीचे के ढलान पर या फिसलते हुए ढलान पर स्किड और होकबूटों के बिना नहीं चलवाएगा;

(xvii)किसी अश्व का स्वामी, किसी गद्दीदार चाबुक से भिन्न किसी अन्य चाबुक के भिन्न किसी अन्य चाबुक का उपयोग नहीं किगा जिसका यह साबित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण किया गया है कि वह किसी घोड़े पर नील, खरोच या अन्य नुकसान नही पहुंचाएगा और यह इन शर्तो के अधीन रहते हुए होगा कि :

(क) चाबुक पर खड़ी हुई किनारी, सिलाई, जोड़ या फलैप नहीं होगा;?

(ख) चाबुक का केवल अनुज्ञप्त घुड़सवार द्वारा ही उपयोग किया जाएगा;

(ग) स्वामी यह भी सुनिश्चित करेगा कि चाबुक का या तो पुठ्ठे पर या माथे पर अथवा पिछली ओर या पुठ्ठों के नीचे पीछे की ओर से भिन्न कहीं और स्थान प उपयोग नहीं किया जाता है अथवा चाबुक का कंधे की उंचाई से ऊपर उपयोग नहीं करेगा।

(घ) चाबुक का एक दौड़ में तीन से अधिक तार उपयोग नहीं किया जाएगा ;

(xviii)स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशु का ऐसे फर्श पर उपयोग नहीं किया जाएगा जो फिसलन रहित फर्श के उपयोग के बिना बहुत चिकना हो;

(xix)स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं को अधिक संख्या में घेर का खड़ा नहीं किया जिसके कारण पशुओं में भगदड़ मच जाए;

(xx) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पशु को अन्य पशुओं से नहीं लड़ाया जाता है यह लड़ने के लिए उकसाया नहीं जाता है और आगे यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी पशु को किसी घायल या किसी रूग्ण पशु के उपचार के प्रयोजन के लिए किसी पशु चिकित्सक द्वारा संवेदनाहरण के सिवाय कोई शामक औषधि या प्रशांतक या स्टेरोयेड या कोई अन्य कृत्रिम वर्धक नहीं दिया जाता है या उसके शरीर में प्रवेश नही कराया जाता है;

(xxi)स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशु का इस प्रकार परिवहन नहीं करवाया जाएगा या ऐसे पिंजरों में और अहातों में रखा या परिरूद्ध नहीं किया जाएगा, जो पशु परिवहन नियम, 1970, प्राणी उद्यान मान्यताप्राप्त नियम, 1992 या किसी अन्य अधिनियम, नियम या उस प्रयोजन के लिए आदेश के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उंचाई, लंबाई या चौड़ाई का माप का न हो;

(xxii)स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशु को पर्याप्त आराम कराए बिना किसी फिल्म के फिल्मांकन में अधिक बार टेक के लिए लगातार उपयोग नहीं कराया जाएगा और किसी सांप के उपयोग किए जाने की दशा में, उसे कोई पदार्थ अन्तर्ग्रहण नहीं कराया जाएगा या तारकोल वाली या किसी अन्य गर्म सतह पर नहीं चलाया जाएगा और कृचिंत सतह पर नहीं दौड़ाया जाएगा;

(xxiii)स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि किसी फिल्म के फिल्मांकन में किसी पशु का उपयोग करते समय लड़ाई के दृश्य को पशुधन रखने वाले क्षेत्र में नहीं फिल्माया जाएगा जिसके अंतर्गत कुक्कुट पालन क्षेत्र भी है और आगे यह सुनिश्चित करेगा कि किसी पक्षी को पिंजरों में दर्शित नहीं किया जाता है;

(xxiv)स्वामी, विहित प्राधिकारी को कम से कम चार सप्ताह पूर्व फिल्म के वास्तविक रूप से बनाए जाने के स्थान, तारीख और समय की सूचना देगा जहां पर पशु का उपयोग किया जाता है;

(2) विहित प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण को मंजूर करने के लिए ऐसी अन्य शर्तो को भी अधिरोपित कर सकेगा जो वह पशुओं के कल्याण के संबंध में समुचित समझे।

9. रजिस्टर – प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसको इन नियमों के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, अपना नाम एक रजिस्टर में दर्ज कराएगा जिसे तीसरी अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में रखा जाएगा।

10. रजिस्टर का निरीक्षण – इन नियमों के प्रयोजन के लिए रखा गया रजिस्टर बीस रूपए की फीस के संदाय पर

किसी कार्यकरण दिवस को कार्य घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और कोई व्यक्ति उससे उद्धरण ले सकेगा या वह पचास रूपए की फीस के संदाय पर उसमें की किसी प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति उसे जारी करने के लिए विहित प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा।

11. रजिस्टर में प्रविष्टियों के फेरफार के लिए आवेदन – इन नियमों के प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किन्हीं विशिष्टियों में फेरफार के लिए प्रत्येक आवेदन चौथी अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में होगा और जब किन्हीं विशिष्टियों में फेरफार किया जाता है तो विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया जाएगा और एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

12. पशु चिकित्सक द्वारा रिपोर्ट का पेश किया जाना – प्रत्येक व्यक्ति जिसका इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि करतब दिखाने वाले सभी पशुओं की एक मासिक रिपोर्ट विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक आगामी मास की 7 तारीख को या उससे पूर्व विहित प्राधिकारी को पेश की जाएगी जिसमें उनका स्वास्थ्य, मृत्यु और जन्म की बाबत किसी पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र होगा।

13. विनिर्दिष्ट करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन और प्रशिक्षण का प्रतिषेध – करतब दिखाने वाले पशुओं को, जिनके करतब को अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिषद्ध किया गया है, किसी करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रशिक्षित या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

14. निरीक्षण करने की शक्ति – (1) विहित प्राधिकारी, पशुओं के परिवहन की पद्धति, देखभाल और उनके रखरखाव का निरीक्षण करने के लिए या करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रशिक्षण या प्रदर्शन के समय उपस्थित रहने या किसी फिल्म को बनाने के दौरान किसी अधिकारी को तैनात कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण की शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है।

(2) स्वामी ऐसे अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के प्रवेश में बाधा नहीं पहुंचाएगा और उसे सभी संभव सहायता देगा जो उसे उसका कर्तव्य पालन में सहायक हो।

15. निरीक्षण की रिपोर्ट – नियम 14 के अधीन तैनात किया गया अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, निरीक्षण के पश्चात् नियमों के अनुपालन और विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्त के अनुपालन की बाबत विहित प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

16. ऐसे रजिस्ट्रीकरण का रद्करण बाबत रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है:–

(1) प्रत्येक पशु को, जिसकी बाबत नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया गया है, रजिस्ट्रीकरण की शर्तो और इन नियमों के अधीन रहते हुए प्रदर्शित और प्रशिक्षित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक पशु को जिसकी बाबत नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, रजिस्ट्रीकरण की शर्तो और इन नियमों के अधीन रहते हुए किसी फिल्म के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) विहित प्राधिकारी, नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की किसी शर्त या अधिनियम के किसी उपबंध अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन की दशा में, जांच के लंबित रने तक रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा और सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् इस प्रकार मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण को प्रतिसंहृत कर सकेगा या ऐसे आदेश या दिनेश जारी कर सकेगा जो वह पशुओं के कल्याण के लिए उचित समझे।

17. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रतियां जारी करना – ऐसा व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, उसके द्वारा यह सबूत देने पर कि रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाणपत्र गुम हो गया है या नष्ट हो गया है और सौ रूपए की फीस के संदाय करने पर इन नियमों के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की एक दूसरी प्रति प्राप्त कर सकेगा ओर उसका वही प्रभाव होगा जो रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाणपत्र का है।

पहली अनुसूची

आवेदन का प्ररूप

(नियम 3 (2) देखिए)

मैं, करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ और निम्नलिखित विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूरा होने की घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर _____

तारीख _____

पता जिस पर अनुमोदन

आदेश भेजा जाना है

_____

_____

विशिष्टियां

1. आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. राज्य का नाम (यदि भारत में कोई उपयोग होता है)
3. राष्ट्रिकता
4. (क) भारत में निवास के नियत स्थान का पता या (ख) भारत में डाक का पता जिस पर पत्र भेजे जा सकते हैं
5. जब दौरे पर हो स्थाई पते से भिन्न भारत में पता या पते (यदि कोई हो), जिस पर आवेदक करतब दिखाने वाले पशुओं का प्रशिक्षण करता है या प्रशिक्षण करना चाहता है (यदि कोई नहीं है तो कोई नहीं लिखें)
6. यह कथन करें कि वह करतब दिखाने वाले पशु नियम,1973 के अधीन रजिस्ट्रीकरण है। यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की संख्यांक और तारीख
7. स्वामित्व प्रमाणपत्र की प्रति यदि पशु वन्य जीव (संरक्षण) अधनियम, 1972 के अधीन एक संरक्षित जाति है
8. (i) करतब दिखाने वाले प्रस्तावित पशु की विशिष्टियां

	जाति	लिंग	आयु	संख्यांक
(क) प्रशिक्षित				
(ख) प्रदर्शित				
(ग) फिलमों में उपयोग के लिए प्रशिक्षित और प्रदर्शित				

   (ii) प्रशिक्षित करतब दिखाने वाले पशु जो प्रदर्शित किये जाने के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट है।

9. करतब या करतबों की प्रकृति का वर्णन जिनमें करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रदर्शित किया जाना है जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है जिनमें उस, उपस्कर का नाम उल्लिखित करें, जिसका करतब के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना हैं।

स्पष्टीकरण : करतब में भाग लेने वाले पशुओं द्वारा (कौन सा करतब) किया जाना है उसका विस्तृत वर्णन, प्रशिक्षण की पद्धति और करतब दिखाने की लगभग अवधि का कथन किया जाना चाहिए। एक ही दिन में दिखाए जाने वाले करतबों की संख्या और करतब में भाग लेने वाले प्रत्येक किस्म के पशुओं की संख्या।

दूसरी अनुसूची

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

(नियम 6 देखिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि वह व्यक्ति जिससे नीचे उल्लिखित विशिष्टियां संबंधित हैं, के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के करताब दिखाने वाले पशु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के अधीन (..... के लिए आज) रजिस्ट्रीकृत हो गया है।

रजिस्टर में क्रम संख्यांक की प्रविष्टि .....

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के लिपिक के हस्ताक्षर

स्थान का नाम :

तारीख :

विशिष्टियां

प्रशिक्षक या प्रदर्शक का नाम	राष्ट्रिकता	या तो (क) पता या पते भारत में निवासजिस पर के निश्चित करतब स्थान का पता दिखाने वाले या (ख) भारतपशुओं को में डाक का प्रशिक्षित स्थाई पता जिस पर प्रशिक्षक या प्रदर्शक को पत्र भेजे जा सकते है		किसी पूर्ववर्ती रजिस्ट्री करण की विशिष्टियां किया जाना है	करतब दिखाने वाले प्रस्तावित पशु की किस्म			करतब की साधारण प्रकृति का वर्णन	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 24 के अधीन न्यायालय के किसी आदेश की विशिष्टियां
					प्रशिक्षित किए जाने वाले पशु की किस्म सं.	प्रदर्शित किए जाने वाले पशु की किस्म सं.	फिल्मों में उपयोग के लिए प्रशि-क्षित/ प्रदर्शित वाले पशुओं की किस्म सं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

तीसरीअनुसूची

रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप

(नियम 9 देखिए)

विशिष्टियां

प्रशिक्षक या प्रदर्शक का नाम	राष्ट्रिकता	या तो (क) पता या पते भारत में निवासजिस पर के निश्चित करतब स्थान का पता दिखाने वाले या (ख) भारतपशुओं को में डाक का प्रशिक्षित स्थाई पता जिस पर प्रशिक्षक या प्रदर्शक को पत्र भेजे जा सकते है		किसी पूर्ववर्ती रजिस्ट्री करण की विशिष्टियां किया जाना है	करतब दिखाने वाले प्रस्तावित पशु की किस्म			करतब की साधारण प्रकृति का वर्णन	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 24 के अधीन न्यायालय के किसी आदेश की विशिष्टियां
					प्रशिक्षित किए जाने वाले पशु की किस्म सं.	प्रदर्शित किए जाने वाले पशु की किस्म सं.	फिल्मों में उपयोग के लिए प्रशि-क्षित/ प्रदर्शित वाले पशुओं की किस्म सं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

चौथी अनुसूची

रजिस्टर में प्रविष्ट विशिष्टियों के फेरफार के लिए आवेदन का प्ररूप

(नियम 11 देखिए)

आवेदक के फेरफार की बाबत रजिस्टर में विशिष्टयों को प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन

सेवा में,

विहित प्राधिकारी,

आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्यांक और तारीख :

मैं, इसके द्वारा करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकरण को लौटाता हूँ और इसके द्वारा निम्न प्रकार से फेरफार किए जाने की बाबत रजिस्टर में विशिष्टियों को प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन करता हूँ और जिनके कारण नीचे दिये गए हैं:

मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे विद्यमान प्रमाणपत्र को रद् कर दिया जाए और एक नया रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाणपत्र मुझे जारी कर दिया जाए।

हस्ताक्षर .....

पता .....

.....

.....

पांचवी अनुसूची

परिवहन के लिए सुझावात्मक आकार के पिंजरे

(नियम 8 (ii) देखिए)

जाति	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	उंचाई (मी.)
स्लेंडर लोरिस	0.40	0.25	0.35
स्लो लोरिस	0.60	0.25	0.45
घोड़ा (पालतू/जंगली)	3.00	1.00	1.75
गधा (पालतू/जंगली)	2.25	.80	1.28
जेबरा	2.60	.95	1.80
हाथी (व्यस्क)	4.80	2.40	2.84
दरियाई घोड़ा (साधारण)	4.06	2.10	1.50
पिग्मी हिप्पो	1.52	1.00	0.74
सिवेट	0.79	.40	.38
मैंगूज	0.56	.25	0.13
बत्तख	0.38 से 0.63	.22–0.35	.78
पाखता	0.46	0.20	0.21

छठी अनुसूची

बंधुआ पशुओं की महत्वपूर्ण स्तनधारी जातियों को चारा खिलाने/सोने के घनाकारों/बाड़ों के लिए न्यूनतम विहित आकार

(नियम 8 (iv) देखिए)

जाति का नाम कुटुम्ब–फिलिडी	घनाकार/बाड़ों का आकार मीटरों में		
	लंबाई	चौड़ाई	ऊंचाई
1	2	3	4
तेंदुआ	2.00	1.50	2.00
छोटी बिल्ली	1.80	1.50	1.50
कुटुम्ब–एलिफन्टिडी			
हाथी	8.0	6.0	5.5
कुटुम्ब–राइनोसिरोटिडी			
एक सींग का भारतीय गैंडा	5.0	3.0	2.5
कटुम्ब – कारबिडी			
पर्वत भूश्रृंगाभ हिरण	3.0	2.0	2.5
हंगुल	3.0	2.0	2.5
अनुपी हिरण	3.0	2.0	2.5
कस्तूरी हिरण	2.5	1.5	2.0
मूषक हिरण	1.5	1.0	1.5
कुटम्ब – बोविडी			
नीलगिरि टहर	2.5	1.5	2.0
चिंकारा	2.5	1.5	2.0
चार सींग वाला बारहसिंगा	2.5	1.5	2.0
जंगली बुरियालो	3.0	1.5	2.5
भारतीय गोर	3.0	2.0	2.5
याक	4.0	2.0	2.5
भरल, गोशल, जंगली भेड़ और मारखोर	2.5	1.5	2.0
कुटुम्ब – एक्विडी			
घोड़ा	6.0	4.0	3.0
जंगली गधा	4.0	2.0	2.5
कटुम्ब – कैनिडी			
गीदड़, भेड़िया और जंगली कुत्ता	2.0	1.5	1.5
कटुम्ब – विविरिडी			
ताड सिवेट	2.0	1.0	1.0
विशाल भारतीय सिवेट बिन्दुरोग	2.0	1.5	1.0
कुटुम्ब – मस्टीलिडी			
सभी किस्म के उद्र बिलाव	2.5	1.5	1.0
चूहा/भालू सूअर	2.5	1.5	1.0
मारटेन	2.0	1.5	1.0
कुटुम्ब – प्रोसायोनिडी			
लाल पांडा	3.0	1.5	1.0
कुटुम्ब – लोरीसिडी			
स्लो लोरिस और स्लेंडर लोरिस	1.0	1.0	1.5

(फा.सं.19/1/2000–ए डब्ल्यू डी)

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव